आरक्षित निर्णय

उच्च न्यायालय उत्तराखंड

रिट याचिका (एम/एस) नं. 2643/2001

(पुराना सीएमडब्ल्यूपी नं. 15584/1997)

केहर सिंह, पुत्र श्री आत्मा सिंह, निवासी गाँव फतेहपुर थांडर, परगना परवादुन, जिला देहरादून।

.. याचिकाकर्ता।

बनाम

1. उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा कलेक्टर देहरादून।

2. मनोहर सिंह पुत्र एस. गुरबचन सिंह, सुलावाला दाइवाला, जिला देहरादून।

... प्रतिवादी

.

श्री अरविंद वशिष्ठ, अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता।

श्री K.P. Upadhyay, विद्वान अतिरिक्त C.S.C प्रतिवादी नं.- 1 - राज्य के लिए ।

श्री राजेन्द्र डोभाल, वरिष्ठ विद्वान अधिवक्ता मनोज साह, अधिवक्ता के साथ, प्रतिवादी नं.-2 के अधिवक्ता।

तिथि 30 जून, 2010

माननीय B.S.Verma, जे.

इस रिट याचिका के माध्यम से, याचिकाकर्ता ने निम्नलिखित राहत मांगी हैः-

(क) अपील सं. 50/1993-94 में अपर कलेक्टर देहरादून द्वारा पारित आदेश 11-12-1996 को निरस्त करते हुए प्रमाणपत्र की प्रकृति में, आदेश या निर्देश जारी करना।

(ख) कोई भी रिट, आदेश या निर्देश जारी करें जिसे यह माननीय न्यायालय मामले की परिस्थितियों में सही और उचित समझे।

(ग) याचिकाकर्ता को याचिका की अधिनिर्णय लागत।

2. वर्तमान रिट याचिका को जन्म देने वाले प्रासंगिक तथ्य,

याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रतिवादी नं.- 2 ने भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 34 के साथ पठित उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम १९५० की धारा 154 के अंतर्गत एक आवेदन सहायक अभिलेख अधिकारी देहरादून के

समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें यह आरोप लगाया गया कि प्रत्यर्थी सं. 2 ने विवादित सम्पति वाली प्लॉट नं. 40/1, 0-18 एकड़ माप वाली, पवन इंद्रा सिंह और जोगी अरुण सिंह, दोनों पुत्र रवींद्र सिंह, द्वारा वर्ष 1981 में विभिन्न बिक्री विलेखों के माध्यम द्वारा खरीदी गई थी। विवादित सम्पति में एक घर और दो दुकानें शामिल थीं। प्रतिवादी नं. 2 ने राजस्व अभिलेखों में बिक्री-विलेख के आधार पर अपने नाम के परिवर्तन के लिए प्रार्थना की।

३- नोटिस जारी किए गए। याचिकाकर्ता केहर सिंह और बघेल सिंह, पुत्र आत्मा सिंह और दया सिंह पुत्र दयाल सिंह ने कुछ व्यक्तियों सहित अलग-अलग आपत्तियां दायर कीं। अपनी आपत्ति में, याचिकाकर्ता और उसके भाई ने आरोप लगाया कि भूमि को प्रतिवादी नं.2 को पवन इंद्रा सिंह के पिता स्वर्गीय रवीन्द्र सिंह ने 27-4-1974 को अपने जीवनकाल में अपने पिता स्वर्गीय आत्मा सिंह के पक्ष में पहले ही बेच दिया था और बिक्री की तिथि से अगस्त 1979 तक जमीन पर उनका कब्जा था। यह भी आरोप लगाया जाता है कि विवादित भूमि पर विरोध करने वालों का घर है, जिसका निर्माण उनके पिता ने भूमि खरीदने के पश्चात किया था। यह भी आरोप लगाया गया है कि प्रत्यर्थी नं- 2 मनोहर सिंह के पास 12.5 एकड़ से अधिक भूमि थी, इसलिए, कानूनी रूप से प्रतिवादी नं.- 2 के नाम को राजस्व अभिलेख में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है।

4. प्रतिवादी नं.- 2 ने सहायक अभिलेख अधिकारी के समक्ष अपना जवाब यह आरोप लगाते हुए दाखिल किया कि आवेदक की मां रतन कौर ने जस्बीर सिंह और इंद्रजीत सिंह के पक्ष में एक वसीयत का निष्पादन किया था और वसीयत के बल पर, उक्त भूमि को जस्बीर सिंह और इंद्रजीत सिंह को हस्तांतरित किया गया था और उनके नाम पहले ही राजस्व अभिलेख में परिवर्तित किए जा चुके हैं। यह भी आरोप लगाया गया था कि आवेदक के कब्जे में 0-18 एकड़ की खरीदी गई भूमि सहित कुल भूमि 11-91 एकड़ है।

5. सहायक अभिलेख अधिकारी (A.R.O.) से पहले, सभी पक्षों ने पंजीकृत बिक्री विलेख और खतौनी के उद्धरण सहित दस्तावेजी साक्ष्य दायर किए। A.R.O. ने पक्षों के साक्ष्य दर्ज किए। पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद और साक्ष्य के अवलोकन के पश्चात A.R.O. इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि आवेदक-प्रतिवादी नं.- 2 के पास 12-50 एकड़ से अधिक जमीन थी और यह धारा १५४ उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता की आपत्ति को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि नाम परिवर्तन के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है। A.R.O. के दिनांक 2-12-1993 के आदेश द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि विवादित भूमि के भूखंड सं. 40/1 क्षेत्र 0-18 एकड़ गाँव देसवाला, परगना परवाडून को U.P.Z.A और L.R. एक्ट की धारा 166/167 को राज्य सरकार में निहित किया जाए।

6. A.R.O. के उक्त आदेश से व्यथित, प्रतिवादी नं.- 2 ने अभिलेख अधिकारी देहरादून के समक्ष अपील की, जो अपील सं. 50/93-94, मनोहर सिंह बनाम स्टेट ऑफ U.P. और अन्य के रूप में दर्ज की गई थी।

7. अभिलेख अधिकारी के समक्ष याचिकाकर्ता ने एक आवेदन दिनांक 22-3-1995, उसे शामिल करने के लिए दिया (याचिका का अनुलग्नक-3) जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि आवेदक-याचिकाकर्ता कार्यवाही के लिए एक आवश्यक पक्ष है, लेकिन अपीलकर्ता ने याचिकाकर्ता को अपील के लिए पक्षकार के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है। इसलिए उन्होंने प्रार्थना की कि याचिकाकर्ता को अपील में पक्षकार के रूप में शामिल किया जाए और उसे सुनवाई का अवसर दिया जाए।

8. ऐसा प्रतीत होता है कि अभिलेख अधिकारी ने अपीलकर्ता और उसके दिनांक 11-12-1996 के आदेश द्वारा निर्देश दिया कि विवादित भूमि पर अपीलकर्ता का नाम परिवर्तित किया जाए। यद्यपि अभिलेख अधिकारी ने उपमंडलीय अधिकारी देहरादून को प्लॉट नं. 40/1 क्षेत्र 0-18 एकड़ का निरीक्षण करें और यदि भूमि कृषि उपयोग में पाई जाती है, तो U.P.Z.A. and L.R.. Act की धारा 154, 166/167 से कार्रवाई करें, जिसने वर्तमान रिट याचिका को जन्म दिया।

9. याचिकाकर्ता की शिकायत है कि याचिकाकर्ता कार्यवाही के लिए एक आवश्यक पक्ष है और उन्होंने प्रतिवादी नंबर-२ के नाम परिवर्तन आवेदन के विरुद्ध सहायक अभिलेख अधिकारी के समक्ष आपत्तियां दायर की थीं। प्रतिवादी नं.-2 ने याचिकाकर्ता को अपील में पक्षकार नहीं बनाया है।

10. प्रतिवादी नं. 2 ने जवाबी हलफ़नामा दायर किया है, जिसमें रिट याचिका के ज्ञापन में किए गए कथनों का खंडन किया गया है।

11. याचिकाकर्ता ने प्रत्युत्तर हलफ़नामा दायर किया है और रिट याचिका के ज्ञापन में बताए गए तथ्यों को दोहराया।

12. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना और इस न्यायालय के समक्ष रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।

13. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने जोरदार ढंग द्वारा तर्क दिया है कि सहायक अभिलेख अधिकारी ने पाया कि बिक्री विलेख का प्रत्यर्थी सं.- 2 के पक्ष में होना, U.P. जमींदारी उनमूलन और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 154 के प्रावधानों का उल्लंघन था। याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी तर्क दिया कि जमीन याचिकाकर्ता के पिता द्वारा 27-4-1974 तक खरीदी गई थी, जबकि प्रतिवादी नं.- 2 ने दिनांक 13-10-1981 के विक्रय विलेख के माध्यम द्वारा भूमि खरीदी है, इसलिए, याचिकाकर्ता के पिता के पक्ष में पूर्व विक्रय विलेख बाद के विक्रय विलेख पर प्रबल होगा। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया है कि हालांकि याचिकाकर्ता ने दाखिल-खारिज के लिए अलग से आवेदन दायर नहीं किया है, लेकिन प्रतिवादी नं.-2 के द्वारा दाखिल-खारिज आवेदन के खिलाफ दर्ज की गई आपत्ति स्वयं उस उद्देश्य के लिए पर्याप्त होगी।

14. प्रतिवादी नं-2 के लिए विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि आक्षेपित आदेश दाखिल-खारिज की कार्यवाही में पारित किए गए हैं, जो प्रकृति में संक्षिप्त हैं और दाखिल-खारिज कार्यवाही में पारित आदेश के विरुद्ध हैं, रिट याचिका बनाए रखने योग्य नहीं है। उसके तर्क के समर्थन में, प्रतिवादी नं-2 के विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा किया हैः-

1. राम भरोसे लाल बनाम U.P. राज्य और अन्य [1990, R.D., पृष्ठ 72]

2. जय नारायण ओझा बनाम गौरी शंकर (1999, R.D., पृष्ठ 616)

3. नारायण सिंह और एक अन्य बनाम अतिरिक्त आयुक्त, मेरठ और अन्य [1999, R.D., पृष्ठ 416]

4. श्रीमती रानी देवी बनाम राजस्व बोर्ड और अन्य [1999, R.D.] पृष्ठ, 633]

5. इशु बनाम U.P. राज्य और अन्य [2003, R.D., पृष्ठ 217]

6. राम कुमार बनाम राजस्व बोर्ड [2003 (1) एडब्ल्यूसी, 505]

15. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जवाब में तर्क दिया है कि चूंकि अपील न्यायालय द्वारा याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया था और सभी पक्षों को सुनने के पश्चात विवादित आदेश अंततः पारित नहीं किया गया है, इसलिए, प्रतिवादी नं-2 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा केस ला पर भरोसा किए जाने का कोई फायदा नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया है कि रिट अदालत आदेश की विकृति की जांच कर सकती है यदि आक्षेपित आदेश से किसी पक्षकार के साथ गंभीर अन्याय होने की संभावना है, जो आदेश से व्यथित है।

16. प्रारंभ में, यह उल्लेख किया जा सकता है कि मामले में, प्रतिवादी सं. 2 द्वारा दायर दाखिल खारिज आवेदन का याचिकाकर्ता द्वारा आपत्ति दर्ज करके विरोध किया गया था। जवाबी हलफ़नामा के साथ, प्रतिवादी नं- 2 ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर आपत्ति की प्रति जवाबी हलफ़नामा में संलग्नक सीए-4 के रूप में संलग्न की है। मैंने याचिकाकर्ता द्वारा दायर आपत्ति पर विचार किया है। आपत्ति के पैराग्राफ नं.- 4 में, यह विशेष रूप से याचिकाकर्ता द्वारा कहा गया है कि सम्पति की सीमाओं को प्रतिवादी सं- 2 द्वारा उत्परिवर्तित करने की मांग की गई है, जो कि आपत्ति करने वालों की हैं और विक्रेताओं को उक्त सम्पति को हस्तांतरित करने का कोई अधिकार नहीं था। सहायक अभिलेख अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक ३०-१२-१९९३ द्वारा प्रतिवादी संख्या-२ के उत्परिवर्तन आवेदन को खारिज कर दिया है। सहायक अभिलेख अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर, प्रतिवादी नं.- 2 ने अभिलेख अधिकारी के समक्ष अपील को प्राथमिकता दी। प्रतिवादी नं. 2 ने याचिकाकर्ता को अपील में पक्षकार नहीं बनाया है। यद्यपि याचिकाकर्ता ने कार्यवाही के पक्षकार के रूप में 22-3-1995 को अभिलेख अधिकारी के समक्ष अभियोग के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है।

17. यह उल्लेख करना उचित है कि जवाबी हलफ़नामा में, प्रतिवादी नं- 2 ने स्वीकार किया है कि याचिकाकर्ता ने अपील में अपने पक्ष के लिए एक आवेदन दायर किया था, जिसे अपीलिय न्यायालय द्वारा कभी भी अनुमति नहीं दी गई थी।

18. याचिकाकर्ता/ऑब्जेक्टर के लिए विद्वान वकील ने तर्क दिया है कि याचिकाकर्ता की आपत्ति को A.R.O द्वारा खारिज कर दिया गया था, इस आधार पर कि उत्परिवर्तन के लिए कोई अलग आवेदन नहीं किया गया था। A.R.O. ने प्रतिवादी नं.-२ द्वारा प्रस्तुत उत्परिवर्तन के लिए आवेदन को भी खारिज कर दिया है इस आधार पर कि यह U.P. Z.A. L.R. Act की धारा 154 के प्रावधानों का उल्लंघन है और आदेश दिया है कि भूमि को उक्त अधिनियम की खंड 166/167 के तहत राज्य सरकार में निहित किया जाए।

19. चूंकि प्रतिवादी सं-2 के आवेदन को A.R.O के आदेश दिनांक 2-12-1993 के द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। अतः उन्होंने अभिलेख अधिकारी के समक्ष अपील दायर की। विद्वत अभिलेख अधिकारी ने अभिनिर्धारित किया है कि प्रतिवादी सं.-२ के पक्ष में विक्रय-विलेख के निष्पादन के समय भूमि का उपयोग कृषि उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा रहा था, इसलिए, संशोधन संख्या-52 (जेड), / 1986-87, मेसर्स हिंदुस्तान केबल्स बनाम स्टेट ऑफ U.P. और एक अन्य [1990, R.D.] पृष्ठ, 78] में राजस्व बोर्ड द्वारा दिए निर्णय को देखते हुए, यह मानते हुए कि यदि कृषि भूमि के अबादी भाग का बिक्री विलेख, Z.A L.R.Act की खंड 167 का प्रावधान लागू नहीं होगा। अभिलेख अधिकारी ने A.R.O के आदेश को खारिज कर दिया, इस आधार पर कि भूमि का उपयोग बिक्री-विलेख के निष्पादन के समय कृषि प्रयोजनों के लिए नहीं किया जा रहा था।

20. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने अग्रेतर तर्क दिया कि याचिकाकर्ता ने A.R.O के समक्ष आपत्तियां दायर की थीं इस आधार पर कि प्रतिवादी सं.-2 के पक्ष में विक्रय विलेख के निष्पादन से पूर्व प्रशनगत भूमि याचिकाकर्ता के पिता द्वारा खरीदी गई थी और बिक्री विलेख 27-4-1974 को उनके पक्ष में निष्पादित किया गया था, इसलिए, प्रतिवादी संख्या-2 के पक्ष में बाद में बिक्री विलेख योग्यता के बिना है और आरम्भतः शून्य है। विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि अभिलेख अधिकारी द्वारा अभियोग आवेदन का निपटारा नहीं किया गया था और दिनांक 11-12-1996 का आक्षेपित आदेश उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना पारित किया गया था।

21. मैंने अभिलेख अधिकारी द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश का अवलोकन किया है। विद्वत अभिलेख अधिकारी ने अपने निर्णय में राजस्व बोर्ड द्वारा "मेसर्स हिंदुस्तान केबल्स (उपर्युक्त) में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है। उस निर्णय में, अलाउद्दीन उपनाम मक्की बनाम हामिद खान [1971, R.D., पृष्ठ 160] के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पहले के फैसले पर विचार नहीं किया गया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने U.P. Z.A. और L.R.Act की धारा 143 (2) के प्रावधान पर विचार करते हुए अन्य बातों के साथ साथ निर्णय के पैराग्राफ 8 में निम्नानुसार अवलोकन किया हैः-

> "8. ऐसा प्रतीत होता है कि जब तक उपरोक्त खंड के sub-cl. २ के तहत एक घोषणा नहीं दी जाती है, तब तक इस उप-खंड में निर्धारित परिणाम का पालन नहीं किया जाता है। 'घोषणा की स्वीकृति पर' शब्दों का उपयोग महत्वपूर्ण है और कोई अन्य निर्माण संभव नहीं है। प्रतिवादी के वकील का तर्क की भले ही धारा १४३ उप-खंड-२ के तहत कोई घोषणा नहीं दी गई है क्योंकि विवादित भूमि का उपयोग कृषि, बागवानी आदि से जुड़े उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा था, उचित प्रतीत नहीं होता है। यदि विधायिका का इरादा यह था कि जितनी जल्दी हो सके भूमि जो पहले कृषि आदि खंड से जुड़े उद्देश्यों के लिए धारित की गई थी, उस उद्देश्य के लिए उपयोग करना बंद कर दिया, U.P.Z.A और L.R.Act या Ch. VIII लागू नहीं होता तो इसके लिए धारा 143 को अधिनियमित करना आवश्यक नहीं होगा। वास्तव में यदि इस तरह की व्याख्या की जाती है, तो अधिनियम की धारा १४३ के प्रावधान बेमानी हो जाते हैं। <u>यह स्पष्ट है कि जब तक भूमिधर को अपेक्षित घोषणा नहीं मिलती है, तब तक वह U.P. Z.A. और L.R.Act के प्रावधानों द्वारा शासित रहता है, इस तथ्य के बावजूद कि क्या वह अपनी भूमि का उपयोग कृषि, बागवानी आदि से जुड़े उददेश्यों के लिए करता है या नहीं।"</u>

22. अलाउद्दीन उपनाम मक्की बनाम हामिद खान (ऊपर) के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को देखते हुए, अभिलेख अधिकारी का दृष्टिकोण कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है क्योंकि मोजूदा मामले में, Z.A L.R.Act. की धारा 143 के तहत भूमि की कोई घोषणा नहीं है। इसलिए, अभिलेख अधिकारी का निष्कर्ष कानून के विरुद्ध भी है कि भूमि, जिसका उपयोग कृषि उद्देश्यों के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जा रहा था, i.e. आबादी उद्देशय इस उद्देश्य के लिए, जमींदारी उनमूलन और भूमि सुधार अधिनियम की धारा 166/167 के प्रावधान लागू नहीं होंगे। चूंकि याचिकाकर्ता विचारण न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में एक पक्षकार था, इसलिए विद्वत अभिलेख अधिकारी ने याचिकाकर्ता को अपील में एक पक्षकार के रूप में शामिल नहीं करने में कानून की एक स्पष्ट त्रुटि की है और याचिकाकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए बिना अपील का निर्णय लिया गया है। इन कारणों से अभिलेख अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 11-12-1996 का आक्षेपित आदेश खारिज करने योग्य है।

23. जहां तक सहायक अभिलेख अधिकारी का निष्कर्ष है कि याचिकाकर्ता ने अलग उत्परिवर्तन आवेदन दायर नहीं किया है, इसलिए आपत्ति पर विचार नहीं किया जा सकता है, यह उल्लेख करना उचित है कि U.P. भूमि राजस्व अधिनियम की धारा ३४ के अंतर्गत, यह राजस्व न्यायालय का कर्तव्य है कि वह सही राजस्व अभिलेख बनाए रखे। सहायक अभिलेख अधिकारी का ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं है कि याचिकाकर्ता के पिता के पक्ष में बिक्री विलेख U.P.Z.A तथा L.R. act की धारा 154 के उल्लंघन में था। A.R.O. ने तथापि अपने दिनांक 30-12-1993 के आदेश में अभिनिर्धारित किया है कि आवेदक- प्रतिवादी सं.- 2 के पक्ष में विक्रय-विलेख द्वारा- उक्त अधिनियम की खंड 154 का उल्लंघन है। तदनुसार, पिछला विक्रय-विलेख बाद के विक्रय-विलेख पर प्रबल होगा। इसके अलावा, जब प्रतिवादी संख्या-२ द्वारा दायर उत्परिवर्तन आवेदन में याचिकाकर्ता द्वारा आपत्ति दायर की गई थी, याचिकाकर्ता की आपत्ति को भूमि राजस्व को प्राप्त करने और राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज करने के उद्देश्यों के लिए उत्परिवर्तन आवेदन माना जाना चाहिए था। A.R.O द्वारा दर्ज किया गया ऐसा निष्कर्ष कानून की नजर में मान्य नहीं है और इसे विकृत माना जाना चाहिए।

24. जहाँ तक प्रतिवादी संख्या-२ के लिए विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि दाखिल खारिज की कार्यवाही में पारित आदेश के विरुद्ध रिट याचिका पोषणीय नहीं है और याचिकाकर्ता के पास वैकल्पिक उपचार का संबंध है, उपरोक्त संदर्भित याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता पर निर्भर मामला-कानून तब लागू होगा जब उत्परिवर्तन कार्यवाही का मामला सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात अंतिम रूप से तय किया गया हो। लेकिन वर्तमान रिट याचिका में स्थिति अन्यथा है, जैसा कि ऊपर विस्तार से बताया गया है।

25. उपर्युक्त कारणों और विचार-विमर्श के लिए अभिलेख अधिकारी द्वारा दिनांक 11-12-1996 को पारित आक्षेपित आदेश तथा सहायक अभिलेख अधिकारी द्वारा दिनांक 30-12-1993 को पारित आदेश खारिज करने योग्य हैं और इसलिए खारिज किए जाते हैं।

26. रिट याचिका की अनुमति है। मामला संबंधित सहायक अभिलेख अधिकारी/तहसीलदार (आज तक मामले का फैसला करने के लिए सक्षम) को भेज दिया जाता है, जो प्रतिवादी नं.2 के नामांतरण आवेदन और याचिककर्ता की आपत्ति का नए सिरे से निर्णय विक्रय विलेख दिनांक २७-७-१९७४ के आधार पर करेगा उसे भूमि राजस्व अधिनियम की धारा 34/35 के अंतर्गत आवेदन के रूप में मानते हुए। याचिकाकर्ता सहायक अभिलेख अधिकारी के समक्ष इस आशय का शपथ पत्र दायर करेगा कि भूमि के हस्तांतरण की तिथि को, याचिकाकर्ता के पिता के पास अधिकतम सीमा तक भूमि नहीं थी, यानी i.e. 12.5 एकड़ से अधिक नहीं थी।

(B.S.Verma, J.)

आरसीपी